कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 31-03-2024

विषय:- लोकसभा चुनाव- 2024 के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा की गई काशी जोन की समीक्षा

आज दिनांक 31-03-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव- 2024 के दृष्टिगत काशी जोन की समीक्षा की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री प्रमोद कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री चन्द्रकान्त मीना, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात श्री राजेश कुमार पाण्डेय सहित काशी जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं प्र0नि0/थानाध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मीटिंग में चुनाव सम्बन्धी निम्न निर्देश दिये गये-

1. **प्रत्येक व्यक्ति रहे थाने की नजर में:-**

    I. मुख्य रूप से गत 10 वर्षों में चुनाव में गड़बड़ी या हिंसा अथवा आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पुलिस की नजर में रहे एवं उन पर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही करें।

    II. हिस्ट्रीशीटर, गुण्डा, गैंगेस्टर, माफिया व अन्य अपराधियों की प्रतिदिन ले हाजिरी एवं उनकी गतिविधियों पर रखें नजर।

    III. आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की गतिविधियों की निगरानी हेतु पुलिस स्कोर्ट व विडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी।

    IV. निगरानी हेतु थाने पर नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों को 01 से 02 गांव/मोहल्ले आवंटित किये जाये व वह पुलिसकर्मी उस गांव से सम्बन्धित समस्त जानकारी चौकी/हल्का प्रभारी व थाना प्रभारी को देंगे। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध थाना प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगें।

2. **चुनाव हेतु विशेष अभियान:-**

शांति पूर्वक मतदान हेतु निम्न अभियान युद्धस्तर पर चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है-

I. अवैध शराब
II. मादक पदार्थ
III. अवैध हथियार
IV. लाइंसेंसी असलहों का जमा कराया जाना
V. असामाजिक तत्वों के विरूद्ध गैंगेस्टर/गुण्डा/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही

3. **पैदल गश्त व रूट मार्च:-**

संवेदनशील व वल्नरेबल गांव/मोहल्ले में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रूट मार्च किया जाये।

4. थानों व पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण उपकरणों की क्रियाशीलता का परिक्षण करें व दंगा नियंत्रण /बल्वा ड्रिल का रिहर्सल कर लें। बल्वा/दंगा की स्थिति में पुलिसकर्मी हेलमेट/बाडी प्रोटेक्टर व अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर मौके पर जाएं।
5. आम जनता में विश्वास का भाव पैदा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग घरों से निकलकर मतदान का प्रयोग करें।
6. आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन हो। पुलिसकर्मी न केवल निष्पक्ष कार्यवाही करें बल्कि निष्पक्षता दिखाई भी दे।
7. जनपद के बार्डर पर सघन चेकिंग हो, ताकि अवैध कैस, हथियार, शराब, मादक पदार्थ आदि पकड़े जा सके।
8. मतदान से पूर्व मतदाताओं को प्रलोभित करने हेतु बांटे जाने वाले पैसे/शराब/साड़ी आदि पर विशेष नजर रखें व सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करें।
9. चुनाव वाले दिन ट्रैफिक आम दिनों की भांति चलाया जाए। मतदान केन्द्र से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मतदाताओं की गाड़ी पार्क करायी जाये।

10. **आचार संहिता से अब तक जनपद में चुनावों की तैयारियों को लेकर हुई कार्यवाही-**

1.	107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही	10045 व्यक्तियों के विरूद्ध
2.	गुण्डा एक्ट/110जी सीआरपीसी	75 व्यक्तियों के विरूद्ध
3.	अवैध शराब की बरामदगी	350 लीटर
4.	मादक पदार्थ की बरामदगी	गांजा-37 किलोग्राम, अन्य- करीब 300 ग्राम
5.	अवैध शस्त्र की बरामदगी	11 शस्त्र, 15 कारतूस
6.	जमा लाइसेंसी असलहे	3288
7.	तामील NBW	176

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।

MOHIT AGRAWAL
Bisleri

उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस